हुक्म

| तारीख हुक्म | |
|---|---|
| | मिसल वास्ते पेश होने विभाजन प्रस्ता[illegible] सी डिक्री दिनांक 16/1/20 को पे[illegible] हेतु पत्रावली हो। |
| 16-1-2020 | पत्रावली [illegible] अधिकारी [illegible] में व्यस्त। अनेक [illegible] आईन्दा [illegible] पेश हो। दिनांक- 20-2-2020 |
| ~~[illegible]~~ 15/10/2020 | ईकजाई पेशी दी जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय[illegible] उपस्थित। पूर्व में तहसीलदार खण्डेला से दिनांक 28/7/2020 को प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव को अभिलेख पर लिया जाता है। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/10/2020 को पेश हो। |
| 23-10-2020 | पत्रावली पेश हुई [illegible] अधिकारी [illegible] व्यस्त। [illegible] आईन्दा पूर्व आदेश [illegible] पेश हो। दिनांक- 27-10-2020 |
| 27/10/2020 | पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी पूर्व में सुनी जा चुकी है। वखमत बहस वकीलवादी ने मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया।<br>पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड तथा तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस वकील वादी पक्ष पर सगौर मनन किया गया जिनसे वाद - वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम रूपेण डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 28/7/2020 अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 28/7/2020 राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील शामील फैसल रेकार्ड हो। यह निर्णय आज दिनांक 27/10/2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया। |

उपखण्ड अधिकारी [illegible]
उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला

Scanned by CamScanner